



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.). 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेबसाइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

प्रति,

कुलसचिव,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध महाविद्यालय में वार्षिक/सेमेस्टर, कक्षा (Class)

.....सत्रमें नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश/अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के रूप परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ। जिसके लिए मेरी शैक्षणिक अर्हताएँ निम्नानुसार हैं :-

उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	विषय/संकाय	प्राप्तांक/पूर्णांक	बोर्ड/विश्वविद्यालय
10 वीं (मैट्रिक)				
12 वीं (इंटरमीडिएट)				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य अर्हताएँ				

// पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं //

○ नियमित (REGULAR) परीक्षार्थी के लिए	○ अमहाविद्यालयीन (PRIVATE) परीक्षार्थी के लिए
1. सभी परीक्षाओं के अंकसूची (MARKSHEET) प्रत्येक वर्ष की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	1. सभी परीक्षाओं के अंकसूची (MARKSHEET) प्रत्येक वर्ष की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. महाविद्यालय में प्रवेशित फीस रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	2. प्रवजन प्रमाण पत्र (MIGRATION) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. नियमानुसार उम्र/प्रतिशत में छूट हेतु छत्तीसगढ़ का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	3. वि.वि. अध्यादेशानुसार विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के भीतर न्यूनतम एक वर्ष (परीक्षा आवेदन फार्म भरने की तिथि) तक निवासरत होने का निवास प्रमाण पत्र या शपथ पत्र (AFFIDAVIT) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. पात्रता शुल्क (ELIGIBILITY FEE) के लिए बैंक में जमा की गयी चालान (CHALAN) की विश्वविद्यालय कॉपी (UNIVERSITY COPY) की मूलप्रति।	4. पात्रता शुल्क (ELIGIBILITY FEE) के लिए बैंक में जमा की गयी चालान (CHALAN) की विश्वविद्यालय कॉपी (UNIVERSITY COPY) की मूलप्रति।
5. आवश्यकतानुसार गेप सर्टिफिकेट, प्रवेश पत्र एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	5. आवश्यकतानुसार गेप सर्टिफिकेट, प्रवेश पत्र एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

आपसे अनुरोध है, कि मुझे उक्त कक्षा में प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

पत्र व्यवहार का पता

मोबाईल नम्बर

छात्र/छात्राओं के लिए दिशा-निर्देश :-

1. छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि पात्रता (Eligibility) आवेदन फार्म एवं पात्रता शुल्क (Eligibility fee) की चालान कॉपी (Challan Copy) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।
2. पात्रता शुल्क (Eligibility fee) की राशि जमा करने के पूर्व अभ्यर्थी, पात्रता आवेदन फार्म की समस्त कंडिका/दिशा-निर्देश/शैक्षणिक अर्हता/दस्तावेज की अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित करने के पश्चात् पात्रता शुल्क (Eligibility fee) की राशि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चालान (Challan) के माध्यम से आई.डी.बी.आई. बैंक के खाता क्रमांक A/C – 0525104000410984 में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
3. जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा और ना ही समायोजित किया जावेगा।
4. नियमित (Regular) छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक रुपये 250/- एवं निर्धारित तिथि के बाद विलंब शुल्क सहित रुपये 500/- देय होगा।
5. अमहाविद्यालयीन (Private) छात्रों के लिए 31 दिसम्बर या परीक्षा आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि जो भी पहले लागू हो, तक रुपये 250/- उसके पश्चात् विलंब शुल्क सहित रुपये 500/- देय होगा।
6. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) की मूलप्रति (Original) को नियमित छात्र/छात्रा नामांकन फार्म (Enrollment Form) के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे एवं अमहाविद्यालयीन (Private) परीक्षार्थी परीक्षा फार्म के साथ संबंधित महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
7. आवेदक पात्रता आवेदन फार्म की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् एवं vko'; drk vud' kj दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ विश्वविद्यालय के पात्रता प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपरान्ह 04:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

नोट:- अपूर्ण/अधूरा/अस्पष्ट आवेदन फार्म एवं दस्तावेज संलग्न करने पर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

8. पात्रता आवेदन जमा करने के 02 कार्यालयीन दिवस के अंदर आवेदक को स्वयं उपस्थित हो कर यह जानकारी लेनी होगी की वे पात्रता प्रमाण पत्र हेतु पात्र है या अपात्र है या किसी प्रकार की जानकारी/दस्तावेज अप्राप्त है। उक्त अवधि में आवेदक के उपस्थित न होने की स्थिति में पात्रता प्रमाण पत्र जारी न होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. पात्रता आवेदन फार्म में दर्शित दस्तावेज सहित, आवेदन जमा करने के 02 कार्यालयीन दिवस पश्चात् अपरान्ह 4:30 बजे अंकसूची की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम एवं पिता/पति/माता का नाम स्पष्ट हो साथ ही चालान (Challan) की स्टूडेंट कॉपी (Student Copy) की मूलप्रति (Original) सहित विश्वविद्यालय के पात्रता प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदक का घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ, कि विश्वविद्यालयीन अध्यादेश एवं पात्रता प्रमाण पत्र से संबंधित समस्त औपचारिकताओं, दिशा-निर्देशों एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण-पत्र पूर्णतः सही हैं। उपरोक्त जानकारी किसी भी समय असत्य/अपात्र पाये जाने पर मुझे उक्त कक्षा में प्रवेश/परीक्षा के लिए जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। भारतीय दण्ड विधि के अनुसार यदि कार्यवाही की जाती है एवं प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, तो मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर